यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्स: (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/01/2018 **दिनांक :** 02.01.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

और अधिक एकता तथा संघर्षों के माध्यम से नववर्ष को सुखद बनायें

नववर्ष के अवसर पर एआईबीईए तथा एआईबीओए ने अपना संयुक्त परिपत्र संख्या 2018/1 दिनांक 01.01.2018 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

और अधिक एकता तथा आगे के संघर्षों के माध्यम से नववर्ष को सुखद बनायें

जैसा कि हम साल को अलविदा कहते हैं जो अभी–अभी धूमिल हुआ है, हम सामान्य आशाओं और आकांक्षाओं के साथ नववर्ष 2018 का स्वागत करते हैं। हम अपने सभी सदस्यों और उनके परिवारों को, नववर्ष के लिए बधाईयाँ तथा शुभकामनाएँ देते हैं।

हमने चैन्नई में आयोजित एआईबीईए के विशाल सम्मेलन के साथ वर्ष 2017 की शुरूआत की। हमारे आसपास की चुनौतियों का मूल्यांकन करते हुए, सम्मेलन ने निरंतर संघर्षों और अभियानों के माध्यम से **संगठित हों और लड़ो –ज्वार को मोड़ दो** का युद्धघोष किया। संघर्ष हमारे सामने मुख्य कार्यसूची बन गया।

उचित परिपेक्ष्य में, एआईबीईए तथा एआईबीओए ने संघर्ष का आह्वान किया। तब यह यूएफबीयू की ओर से एक संयुक्त आह्वान बन गया और उन शक्तियों को एक चेतावनी संकेत के रूप में हमने **28 फरवरी, 2017 को** एक अत्यन्त सफल **हड़ताल** की।

इसको **बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस** से जोड़ते हुए जुलाई में कार्यक्रम तक चलाया गया। और एक बार फिर **22 अगस्त, 2017 को हड़ताली कार्रवाई** हुई, जो अब तक कि एक और शानदार सफलता थी।

15 सितम्बर, 2017 को संसद पर विशाल मोर्चा एक बड़ी सफलता था जब हमारे सदस्यों ने एआईबीईए तथा एआईबीओए के तहत हमारे संयुक्त आन्दोलन की शक्तिशाली ताकत को प्रकट किया।

फिर हमने आईडीबीआई बैंक में वेतन पुनरीक्षण की माँग करते हुए **27 दिसम्बर, 2017 की हड़ताल** का आह्वान किया। यह हड़ताल स्थगित कर दी गई जब प्रबंधन झुका और आश्वस्त किया कि समझौता शीघ्रता से किया जाएगा।

इस प्रकार, यह निरंतर कार्यक्रमों, अभियानों और संघर्षों का वर्ष था।

जारी पृष्ठ 2

हालांकि, सरकार कथित बैंकिंग सुधारों की अपनी कार्यसूची में व्यस्त थी। सरकार ने **6 बैंकों को बन्द करना और** एसबीआई के साथ उनका **विलय** करने का फैसला किया इसका एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दावा करते हुए। लेकिन जल्द ही गुब्बारे की हवा निकल गई जब यह पता चला कि विलय ने प्रदर्शन और लाभप्रदता के मामले में एसबीआई को केवल कमजोर किया है। फिर भी, वे और अधिक विलय की बात करते हैं।

खराब ऋणों की निरंतर वृद्धि के कारण, बैंक गंभीर तनाव में थे। कॉर्पोरेट चूककर्ताओं पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय, सरकार ने प्रभावित बैंकों को **पूंजी विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन** में प्रतिकूल शर्तें निर्धारित कीं। एआईबीईए ने हस्तक्षेप किया और सरकार अपनी शर्तों, विशेष रूप से कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में कटौती के संबंध में, पर जोर दिए बिना इन बैंकों का पूंजीकरण करने के लिए सहमत हुई।

इस वर्ष के दौरान, सरकार बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन का एक प्रस्ताव लाई जिससे कि आरबीआई को खराब ऋणों को वसूल करने के उपाय के रूप में प्रमुख चूककर्ताओं के विरूद्ध **दिवालियापन और दिवालियापन की कार्यवाही** करने के लिए बैंकों को सलाह देने की अनुमति दी जा सके। लेकिन इसने खराब ऋणों को वापस लाने में बैंकों की मदद नहीं की लेकिन केवल बैंकों को गंभीर सजावटी छंटनी के लिए तैयार रहने के लिए मजबूर किया है।

बैंकिंग क्षेत्र एक संकटपूर्ण चरण से गुजर रहा है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआई और सरकार को कोई खबर नहीं है। **विमुद्रीकरण** बैंकों में बहुत सा धन लाया, लेकिन पूंजी की कमी के कारण, बैंक उधार देने में असमर्थ हैं और इसलिए ये जमाराशियां वास्तविक देयतायें बन गई हैं! बैंकों को खराब ऋणों के लिए भारी प्रावधानों के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है लेकिन बचत जमाओं पर **ब्याज दर को कम करके** और **सेवा शुल्कों में बढ़ोतरी** द्वारा निर्दोष ग्राहकों और जनता के कंधों पर इस बोझ को डाला जा रहा है।

आरबीआई बैंक के बाद बैंक पर **पीसीए** का शिकंजा कसने में व्यस्त थी जैसे कि बैंक अकेले दोषी थे और आरबीआई एक निर्दोष बच्चा है। आरबीआई समान रूप से दोषी है क्योंकि सभी कॉर्पोरेट ऋणों को उनकी पूरी जानकारी से मंजूरी दी गई थी और आरबीआई ऋणों के पुर्नगठन के लिए केवल बैंकों को सीडीआर, एसडीआर, एस4ए आदि के लिए कह रही थी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इसे सुअर के मुँह पर लिपस्टिक (श्रृंगार से असलियत नहीं बदलती) कहा था, लेकिन यही आरबीआई चाहता था। आरबीआई अब एक पवित्र गाय की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में कुछ पीसीए को खुद आरबीआई पर रखा जाना चाहिए!

जले पर नमक छिड़कते हुए, सरकार एफआरडीआई विधेयक लाई है। जबकि बैंकों की समस्याओं का मूल कारण कॉर्पोरेट कम्पनियों द्वारा बड़े ऋणों की चूक हैं, सरकार, ऋणों को वसूल करने के लिए चूककर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाय, एफआरडीआई विधेयक लाई है जिसके द्वारा जमाकर्ताओं को दंडित किया जाएगा और न कि ऋण चूककर्ताओं को जो कि वास्तविक अपराधी हैं।

बैंकिंग क्षेत्र के हित के विरूद्ध सरकार के इन निरन्तर कथित सुधार उपायों के सामने, हमने अब अपना राष्ट्रीय अभियान तथा **संसद और लोक सभा अध्यक्ष को जन याचिका** शुरू किया है।

इस बीच, वर्ष के दौरान हमने आईबीए को माँग पत्र प्रस्तुत किया और आईबीए ने **वेतन पुनरीक्षण** के लिए समझौता वार्ता आरंभ की। विचार–विमर्श के छह माह बीत चुके हैं लेकिन आईबीए को अभी भी अपने प्रस्ताव पर मुंह खोलना है। हम अब आन्दोलनात्मक कार्यक्रमों के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि इंतजार काफी लम्बा हो गया।

इस प्रकार, जबकि हमारी आशा है कि एक सुखद नववर्ष हो, यह तभी सम्भव है जब हम **और अधिक एकजुट रहें, अपनी यूनियनों को और अधिक सुदृढ़ बनायें और अपने संघर्षों को तीव्र करें।**

आईये, हमारा नववर्ष का संकल्प हो – अपनी यूनियनों को सुदृढ़ बनायेंगे।

अभिवादन सहित,

आपके साथी,

ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री
एआईबीईए

ह0..
एस. नागराजन
महामंत्री
एआईबीओए